


06-01-20  
देवीपाल  
पत्रावली पेशा दुर्ग वार्दा व उनके  
अधिकारता अनुपस्थित। प्रतिवार्दा  
श्री देवीपाल व उनके अधिकारता  
उपस्थित। न्यायालय द्वारा प्रकरण  
में रुक रुक कर तीन बार आवान  
लगवाने के बावजूद वार्दा एवं  
उनके अधिकारता उपस्थित नहीं हुए।  
न्यायालय समाप्त समाप्त होने तक  
वार्दा का और से कोई उपस्थित  
नहीं होने से जाहील होता है कि  
वार्दा अपने वाद के प्रति अभी नहीं  
हैं अथवा यह मुकदमा अब नहीं  
चलना चढ़ता है। अतः वार्दा का  
वाद पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने  
से मजम हाजरी व मजम पेशी में  
स्वारीज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार है।

  
अखण्ड अधिकारी  
बड़गाँव, जिला-बलरामपुर

